

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा**

पीठसीन अधिकारी:-

अशोक कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-

86/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

2025/227

वादीनी

बनाम

प्रतिवादी

धापू पत्नि प्रभूराम

जाति कुम्हार(प्रजापति)

निवासी रूपादेवी,दूधवा

तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

1.अमरनाथ पुत्र जालमनाथ

2.उगमनाथ पुत्र जालमनाथ

3.पुखनाथ पुत्र जालमनाथ

4.खमादेवी पत्नि जालमनाथ

5.ओमनाथ पुत्र भंवरनाथ

6.आम्बनाथ पुत्र भंवरनाथ

7.गंगादेवी पत्नि भंवरनाथ

8.संतोष पुत्र ओमनाथ जाति गोस्वामी

निवासी दूधवा तहसील पचपदरा

9.बाबुलाल पुत्र लच्छाराम जाति जाट

निवासी दूधवा मल्लीनाथ तहसील

पचपदरा

10.ग्राम पंचायत दूधवा जरिए सरपंच

11.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार

पचपदरा

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955****उपस्थिति**

1.श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता वादीनी

2.प्रतिवादी एकतरफा।

**निर्णय**

दिनांक-24.04.2026

संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा निबली तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 283 भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 20.11.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक

सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। वादीनी अधिवक्ता ने माफिक विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अंतिम डिक्री जारी करने की सहमति दी गई, जो बाद सुनवाई विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।


लिहाजा वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा निबली तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 283 भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

कं. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हेक्ट.)	किस्म	लगान	बरंग
1	धापु पत्नि प्रभुराम जाति कुम्हार सा. रुपादेवी खातेदार	निंबली	283	4.0084	बा.सो.	1.24	हरा
2	अमरनाथ पुत्र जालमनाथ हि. 1/12 उगमनाथ पुत्र जालमनाथ हि.1/12 ओमनाथ पुत्र भंवरनाथ हि. 13361/120252 खमादेवी पत्नि जालमनाथ हि. 1696/30063 गंगादेवी पत्नि भंवरनाथ हि.13361/120252 पुखनाथ पुत्र जालमनाथ हि. 1/12 मीलादेवीपत्नि आम्बनाथ,हि. 6681/120252 संतोष पुत्र ओमनाथ हि. 23897/120252 सुरेशनाथ पुत्र आम्बनाथ हि. 2227/40084 जाति गोस्वामी सा. दूदवा बाबूलाल पुत्र लच्छाराम हि. 16187/120252 जाति जाट सा.दूदवा मलीनाथ सरपंच ग्राम पंचायत दूदवा हि. 3237/20252 खातेदार	निंबली	283	12.0252	बा.सो.	3.73	केसरिया



  
सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा


तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना -अपना वहन करें ।

  
(अशोक कुमार) 24/04/2026

सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 24.4.2026 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।



  
सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.)बालोतरा 24/04/2026

## मूलवाद में अंतिम डिक्री

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 86/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/227

वादीनी

बनाम

प्रतिवादी

धापू पत्नि प्रभूराम  
जाति कुम्हार(प्रजापति)  
निवासी रूपादेवी, दूधवा  
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

1. अमरनाथ पुत्र जालमनाथ
2. उगमनाथ पुत्र जालमनाथ
3. पुखनाथ पुत्र जालमनाथ
4. खमादेवी पत्नि जालमनाथ
5. ओमनाथ पुत्र भंवरनाथ
6. आम्बनाथ पुत्र भंवरनाथ
7. गंगादेवी पत्नि भंवरनाथ
8. संतोष पुत्र ओमनाथ  
जाति गोस्वामी, निवासी दूधवा  
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
9. बाबुलाल पुत्र लच्छाराम जाति जाट  
निवासी दूधवा मल्लीनाथ तहसील  
पचपदरा
10. ग्राम पंचायत दूधवा जरिए सरपंच
11. राजस्थान सरकार जरिए  
तहसीलदार पचपदरा



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 86/2025

निर्णय दिनांक :-24.4.2026

वादीनी की ओर से श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा, इस वाद में आज तारीख 24.4.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 24.4.2026 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को

सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश दिए जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। निर्णय आज तारीख 28.1.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अशोक कुमार)  
सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीनी		प्रतिवादीगण	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. ....रुपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	-----	5. आदेशिका की तामील	-----
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़	-----	जोड़	-----



(अशोक कुमार)  
सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) बालोतरा